

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी, 2024 सत्र
दैनिक कार्य सूची
गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी, 2024 (माघ 19, 1945)
समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (पर्यावरण, लोक निर्माण, ऊर्जा और उद्योग विभाग) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-3,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड-प्रथम) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-5,

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु क्षिप्रा नदी के क्षरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-6,

(vi) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-7, एवं

(vii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2022-2023 (खण्ड-I एवं II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-2023,

(ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, तथा

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130-क की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक 693/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023,
- (ii) क्रमांक 558-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 15 मार्च, 2023,
- (iii) क्रमांक 497-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 09 मार्च, 2023,
- (iv) क्रमांक 220/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 24 जनवरी, 2023,
- (v) क्रमांक 730/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 05 अप्रैल, 2023,
- (vi) क्रमांक 2740/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,
- (vii) क्रमांक 1686-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,
- (viii) क्रमांक 1685-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,
- (ix) क्रमांक 2741/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,
- (x) क्रमांक 2896/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023, एवं
- (xi) क्रमांक 1684/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2022-2023 के अंकेक्षित लेखे, तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

4. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में पाला एवं तुषार से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री महेश परमार, सदस्य, प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशालाओं में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सिनोद तथा ईश्वरथूनी-गोपालपुरा के बीच विद्युत ग्रिड लगवाये जाने,

(2) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के भांडेर अंतर्गत ग्राम इकारा एवं अन्य ग्रामों के बीच विद्युत सब-स्टेशन लगवाये जाने,

(3) श्री विपिन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम अधोरिया अंतर्गत मुख्य सड़क से ग्राम को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री महेश परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना अंतर्गत छूटे हुए ग्रामों को नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से जोड़ने,

(5) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम गणेश पुरा से जिगनिया तक डामरीकृत रोड निर्माण कराये जाने,

(6) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 60 के हुरावली तिराहे से सिंरौल हाईवे तक की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अलोरीपुरा से महौरीपुरा होते हुए प्रेमसिंहपुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(8) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम-सुखाद से गोपालपुर तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत जनकपुर अंतर्गत अंतरसिंह के मकान से बडेरा मेन रोड तक ग्रेवर सड़क का निर्माण कराये जाने,

(10) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम करई से समोहा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम रेहगुन से लोनसरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(12) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम मोहास से घुनसुर-भैंसवाही मार्ग में कटनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल सहित रोड का निर्माण कराये जाने, तथा

(13) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले के राजपुर अंतर्गत घुसगांव खेड़ापुरा से बोलवाड़ी कालाखेत मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने, के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

भोपाल :

दिनांक : 7 फरवरी, 2024

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.